राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.2096.सीसी/स्वा.का.पु./2026/84

दिनांक :- 24/6/26

आदेश

प्रकरण एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 15096/2020 शिवकरण सिंह, स्वा0कार्य0पु0 बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 19.01.2026 को पारित आदेश का मुख्यांश निम्न प्रकार है।

"However, a liberty is granted to the respondent(s) to examine the caseof each of the petitioners within a period of 60 days from date of receipt of copy of the order and if the ratio laid down in aforementioned case(s) are applicable, the respondent(s) shall extend the benefit within 90 days from date of conclusion of examination but, the entire exercise has to be completed within 150 days from date of the receipt of copy of this order. In case any deviation is made by the respondent(s) on the basis of veracity of facts as claimed by the respondent(s) then they are under an obligation to pass a reasoned and speaking order under an intimation to the petitioner."

कि दाडमदास वैष्णव व अन्य का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) से संबंधित है जिसमें निर्धारित योग्यता सैकण्डरी या समकक्ष के साथ 18 माह (जिसे बाद में 12 माह सशोंधित किया गया) के हेल्थ वर्कर मेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक था।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता आमेलित/समायोजित कार्मिक है जिनकी नियुक्ति बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर, फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पदों पर होने एवं याचिकाकर्ता समायोजित/आमेलित पुरुष होने से याचिकाकर्ता का प्रकरण गोविंद दान चारण के प्रकरण के समान है।

गोंविद दान चारण व अन्य का प्रकरण समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर पदों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के पद पर समायोजित/आमेलित किया गया, उक्त समायोजित/आमेलित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के संबंध में गोविन्द दान चारण से कवर्ड मानते हुए क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में याचिकाकर्ता श्री शिवकरण सिंह को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विभिन्न दायर याचिकाओं के अंतर्गत प्रकरण गोविंद दान चारण से कवर्ड हुये चयनित वेतनमान देने के निर्देशों की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 55 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा याचिकाकर्ता के समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने से याचिकाकर्ता समायोजित स्वा.कार्य.पु. होने से एवं प्रकरण गोंविद दान चारण के प्रकाश में क्रमशः 09, 18 एवं 27 वर्ष पर क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रकरण मे उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं का प्रकरण समायोजित कार्यकर्ता पुरुष का होने से पूर्णतया गोविन्द दान चारण प्रकरण से कवर्ड होने पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों की पालना में गोंविद दान चारण के प्रकाश में संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं एवं याचिकाकर्ताओं का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष दाडमदास वैष्णव के प्रकरण से कवर्ड नहीं होने से याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से जांच करने से याचिकाकर्ताओं द्वारा दाडमदास वैष्णव के प्रकाश में चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होने से अभ्यावेदन एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.2096.सीसी/स्वा.का.पु./2026/84

दिनांक :- 24/6/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु।
3. स्थाई प्रभारी अधिकारी केस, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
4. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :22-06-2026 07:33:54

RajKaj Ref No.:
22900613